पत्रांकः—वन भूमि—111 / 2024....4470.../प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक—सह—विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखंड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक....21/12/24....

विषय :— भारतमाला के परियोजना के तहत पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा—सासाराम पथांश सदिशोपुर—आशानी (0.00—34.800 कि.मी.) (रिंग रोड) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.964हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा—सासाराम पथांश सदिशोपुर—आशानी (0.00—34.800 कि.मी.) (रिंग रोड) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.964हे०वन वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल—424 प्रभावित होंगे जिसमें से 170 वृक्षों का पातन एवं 254 वृक्षों का पुर्नस्थापन प्रस्तावित किया गया है। विषयांकित अपयोजन के प्रस्तावित स्थल पर वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है।

परियोजना निर्माण में होने वाली वन भूमि के लिए जिला पदाधिकारी पटना एवं भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11-43/2013-FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में FRA, 2006 प्रमाण—पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव का DGPS Map संलग्न है

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.964 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगने 3.928 हे० अर्थात 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि नवादा वन प्रमंडल अंतर्गत रजौली वन प्रक्षेत्र के पड़रिया (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र–IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 1.964 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 24,12,951/–(चौबीस लाख बारह हजार नौ सौ एकावन रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 1.964 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि रजौली वन प्रक्षेत्र के पड़रिया (PF) को चिन्हित करते हुए रू० 24,62,511/– (चौबीस लाख बासठ हजार पाँच सौ ग्यारह रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। संलग्न प्राक्कलन के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/12/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–111/2024 4470/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 21/12/24

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–111/2024 4470/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 21/12/24

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

21/12/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

Van Bhumi:- 111/2024

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 1.964 ha. forest land for construction of Sadisopur-Ashani (0.00-34.800 KM.) (Ring Road) Road in Patna & Bhojpur District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 21/12/24

Place:- Patna

Signature:-

Name of Designation:-

Official Seal:- वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना